UPJS100001112003

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम० , गरौठा , जनपद- झाँसी ।

मुकदमा सं०- 2024/ 2003

सरकार बनाम नारायणदास ।

मु०अ०सं०- 210/ 2003

धारा- 25 आयुध अधिनियम ।

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी ।

दिनांक- 05. 08. 2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभियुक्त **नारायणदास** उपस्थित आया ।

2. अभियुक्त **नारायणदास** द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अभियुक्त नारायणदास द्वारा अन्तर्गत धारा - 25 आयुध अधिनियम , वाद सं०- 2024/ 2003, थाना - गरौठा , जिला- झाँसी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त बेहद गरीब व्यक्ति है । मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है । न्यायहित में प्रार्थी / अभियुक्त का जुर्म स्वीकार कर वाद को समाप्त किया जाना न्यायोचित है । याचना की गई है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का जुर्म स्वीकार कर कम से कम जुर्माने पर वाद समाप्त करने की कृपा की जावे । प्रार्थी/ अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त नारायणदास की फोटो चस्पा है । अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है ।

3. अभियुक्त नारायणदास का बयान मुल्जिम / 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि वह स्वेच्छा से बिना किसी भय एवं दबाव के अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है ।

4. प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2003 का है । अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करना चाहता है । जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त नारायणदास का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नारायणदास को स्वयं की याचना पर धारा- 25 आयुध अधिनियम , मुकदमा सं०- 2024/ 2003 के मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्त **नारायणदास** को उसके द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **धारा- 25 आयुध अधिनियम** के अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है ।

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा, जनपद- झाँसी ।

J. O. Code- UP2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.08.05 16:41:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>लंच बाद पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो</u> -

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित है।

अभियुक्त का कथन है कि वह निर्धन व वृद्ध व्यक्ति है और उसके परिवार में एकमात्र वह ही जीविका उपार्जन करने वाला सदस्य है और वह मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। अभियुक्त द्वारा न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी । अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया जा रहा है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात् मेरी राय है कि प्रस्तुत प्रकरण सन् 2003 का है जो लगभग 23 वर्ष पुराना है। अभियुक्त की उम्र लगभग 70 वर्ष है।

<u>आदेश</u>

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **नारायणदास पुत्र गुलाब अहिरवार** को मुकदमा सं०- 2024/ 2003, मु०अ०सं०- 210/ 2003, अंतर्गत धारा- 25 आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय के उठने तक एवं मु०- 1500/ - रूपये (एक हजार पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त सात दिवस का साधारण कारावास भुगतेगा।

माल मुकदमा एक अदद देशी तमंचा 12 बोर अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार नष्ट किया जाये तथा दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 05. 08. 2026

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक- 05. 08. 2026

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293